



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक:- 26.05.2023

थाना चौक पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत पाक्सो एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन काशी महोदय के आदेश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा मु0अ0सं0-47/2023 धारा 354,354घ,363,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त दानिश अहमद पुत्र इलियास अहमद निवासी सी 6/148 थाना चेतगंज वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष को आज दिनांक 26/05/2023 को समय 12:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 47/2023 धारा 354, 354(घ),363,506 आईपीसी 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी

अभियुक्त का विवरण: -

1. दानिश अहमद पुत्र इलियास अहमद निवासी सी 6/148 थाना चेतगंज वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष

बरामद एवं गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्र थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी।
2. प्रभारी चौकी पियरी उप निरीक्षक अमित शुक्ला थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
3. उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार थाना चौक थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
4. आरक्षी मनोज कुमार सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
5. आरक्षी शशि कांत सिंह थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
6. आरक्षी बृजेश प्रताप थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी

घटना का विवरण:-

दिनांक 25/05/2023 को एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया की उनकी पुत्री जिसकी उम्र 15 वर्ष है को दानिश अहमद पुत्र

इलियास अहमद जो थाना क्षेत्र चेतगंज का रहने वाला है आए दिन फोन के माध्यम से परेशान करता है तथा बहला फुसला कर स्टॉप पेपर जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवा लिया एवं प्राइवेट फोटो भेजने के लिए दबाव बनाता है तथा छेड़खानी करता है इस तहरीर को संज्ञान में लेते हुए समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त दानिश अहमद पुत्र इलियास अहमद को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट
वाराणसी।